संख्या -19/2017/एस-3-901/दस-2017-ब(5)/2016

प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,
अनुसचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0,
24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

वित्त(सेवायें)अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक: 22 अगस्त, 2017**

विषयः- अनुदान संख्या-63 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 के बजट में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष लेखानुदान अवधि पांच माह (अप्रैल से अगस्त, 2017 तक) के लिए व्यय हेतु निवर्तन पर रखी गयी धनराशि को घटाते हुये शेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017 बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03-08-2017 एवं लेखानुदान की पांच माह हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने विषयक शासनादेश संख्या 12/2017/एस-3-358/दस-2017-ब(5)/2016 दिनांक 06-04-2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-2018 के बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 731.11/-लाख के सापेक्ष लेखानुदान की प्रथम पांच माह (अप्रैल से अगस्त, 2017 तक) की अवधि के लिए अनुदान संख्या-63 के लेखाशीर्षक-''2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-003- प्रशिक्षण-03-वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान'' के अन्तर्गत संलग्नक-1 अधिष्ठान व्यय हेतु मदवार स्वीकृति धनराशि रू0 309.20/- लाख को घटाते हुये शेष मदवार धनराशि रूपये 421.91/- लाख (रू0 चार करोड इक्कीस लाख इक्यानबे हजार मात्र) व्यय किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- संलग्नक -1 में उल्लिखित मदवार धनराशियों का प्रदेशन इस शर्त के साथ किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2017-2018 के बजट में प्रावधानित धनराशि में जो व्यय किया जाय वह उपलब्ध धनराशि के अन्दर रहे। प्रदिष्ट धनराशि से किसी भी नई मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त आवंटित धनराशि का व्यय उक्त कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017 बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03-08-2017 द्वारा निर्धारित नियमों/आदेशों/निर्देशों के अनुसार एवं समय-समय पर जारी मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय।

4- उपर्युक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सुसंगत नियमों के अन्तर्गत जिन मदों पर शासन की स्वीकृति अपेक्षित है, उन मदों पर धनराशि व्यय करने से पूर्व अपेक्षित स्वीकृति शासन से प्राप्त कर ली जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- उक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-63 के लेखाशीर्षक-''2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-003- प्रशिक्षण-03-वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान'' के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक ईकाइयों के नामे डाला जायेगा ।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(राजीव कुमार वत्स)
अनुसचिव

<u>संख्या-19/2017/ एस-3-901(1)/दस-2017-तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
4- अनुभागीय गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राजीव कुमार वत्स)
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>शासनादेश संख्या-19/2017/एस-3-901/दस-2017-ब(5)/2016 दिनांक 22 अगस्त, 2017 का संलग्नक-1</u>

वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान का विवरण:-
2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन
003-प्रशिक्षण
03-वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान

धनराशि (लाख रूपये में)

मानक मद के कोड व नाम	2017-18 में प्राविधानित धनराशि	अप्रैल से अगस्त, 2017 तक पांच माह हेतु निर्वतन पर रखी गयी धनराशि को घटाते हुये	सितम्बर 2017 से मार्च, 2018 तक के लिये प्रस्तावित धनराशि
01-वेतन	373.51	172.15	201.36
02-मजदूरी	3.00	1.25	1.75
03-मंहगाई भत्ता	22.41	8.60	13.81
04-यात्रा व्यय	1.00	0.40	0.60
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.20	0.30
06-अन्य भत्ते	26.57	11.07	15.50
07-मानदेय	7.00	2.90	4.10
08-कार्यालय व्यय	15.00	6.25	8.75
09-विद्युत देय	60.00	25.00	35.00
10-जल कर/जल प्रभार	22.50	9.40	13.10
11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	3.00	1.25	1.75
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3.00	1.25	1.75
13-टेलीफोन पर व्यय	4.00	1.60	2.40
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	-	-	
15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	8.00	3.20	4.80
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	75.00	31.25	43.75
17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	26.20	10.90	15.30
18-प्रकाशन	2.00	0.20	1.80
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र	2.00	0.20	1.80
29-अनुरक्षण	35.00	14.58	20.42
42-अन्य व्यय	1.00	0.40	0.60

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2.00	0.20	1.80
45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00	0.40	0.60
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2.00	0.20	1.80
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	3.00	1.25	1.75
49-चिकित्सा व्यय	7.20	5.00	2.20
51-वर्दी व्यय	0.30	0.10	0.20
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	24.92	-	24.92
योग -	**731.11**	**309.20**	**421.91**

(रूपया चार करोड़ इक्कीस लाख इक्यानबे हजार मात्र)

(राजीव कुमार वत्स)
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।